राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राज0 जयपुर

क्रमांक एफ.3 (ख) (1) ( )/अलेसे-।।/ 9196-9125 दिनांक :-24 मई 2013

आदेश संख्या 72 / 2013-14

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित लेखाकार (संयुक्त प्रतियोगी) सीधी भर्ती परीक्षा, 2011 में सफल घोषित किये जाने एवं आयोग की अनुशंषानुसार चयनित सूची में से निम्नांकित अभ्यार्थियों को उनके नाम के सामने अंकित कालम संख्या 4 में लिखे आदेशों के द्वारा प्रशिक्षण में लगाया गया था लेकिन उन द्वारा बताये गये कारणों के अनुसार वे प्रशिक्षण में उपस्थित नहीं होने के कारण उनका पदस्थापन उनके नाम के आगें अंकित कालम संख्या 6 में अंकित कार्यालय/ विभाग में तुरन्त प्रभाव से किया जाता है ।

क्रमांक	मेरिट नम्बर	नाम अभ्यार्थि	आदेश संख्या / दिनांक	प्रशिक्षण केन्द्र का नाम	विभाग / कार्यालय का नाम	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	12	गुरारी लाल श्रीमाल	271/2012-13 30.01.2013	क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र उदयपुर	उपकोषाधिकारी छीपा बडौद जिला बांरा	रिक्त पद पर
2.	157	अंकुश गुप्ता	276/2012-13 01.02.2013	क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र जोधपुर	उपकोषाधिकारी घटोल जिला बासवाडा	रिक्त पद पर
3.	216	शिवकुमार सुथार	276/2012-13 01.02.2013	क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र जोधपुर	उपकोषाधिकारी टिब्बी जिला हनुमानगढ	रिक्त पद पर
4.	253	सुनीता संगतानी	271/2012-13 30.01.2013	क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र उदयपुर	राजस्थान राज्य मेडिकल सर्विसेज कारपोरेशन जयपुर	रिक्त पद पर
5.	288	प्रवीड माकड	276/2012-13 01.02.2013	क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र जोधपुर	उपकोषाधिकारी नोहर जिला हनुमानगढ	रिक्त पद पर
6.	297	सुनील कुमार त्रिपाठी	270/2012-13 30.01.2013	क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र बीकानेर	उपकोषाधिकारी पीलीबंगा जिला हनुमानगढ	रिक्त पद पर
7.	298	जमनालाल तेली	271/2012-13 30.01.2013	क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र उदयपुर	उपकोषाधिकारी गढी जिला बासंवाडा	रिक्त पद पर
8.	326	स्नेहलता योगी	270/2012-13 30.01.2013	क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र बीकानेर	राजकोम्प, जयपुर	रिक्त पद पर
9.	339	सोहन लाल	271/2012-13 30.01.2013	क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र उदयपुर	उपकोषाधिकारी गोगूंदा जिला उदयपुर	रिक्त पद पर
10.	359	दिलीप कुमार मीणा	276/2012-13 01.02.2013	क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र जोधपुर	उपकोषाधिकारी कोटडा जिला उदयपुर	रिक्त पद पर

उक्त अभ्यार्थियों का पदस्थापन उनके प्रशिक्षण आदेश में उल्लेखित एवं निम्नांकित शर्तो पर की जा रही है –

1. उपरोक्त अभ्यर्थियों की जन्म तिथि इनके द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र में अंकित एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा स्वीकृत जन्म तिथि के अनुसार तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के के आधार पर अंकित की गई है।
2. यह नियुक्ति संबंधित सेवा नियमों और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों में अधिकथित निबन्धनों एवं शर्तो के अध्यधीन होगी।
3. यह नियुक्ति उप महानिरीक्षक,सी.आई.डी (सुरक्षा) जयपुर से अभ्यर्थी के चरित्र के संबंध में संतोषजनक प्रमाण-पत्र की शर्त पर है।
4. अभ्यर्थी को राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियमों के अनुसार भविष्य में अनिवार्य प्रशिक्षण पर उपस्थिति देते समय दस रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक अनुबन्ध पत्र / बाण्ड जो नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित हो देना होगा।
5. अभ्यर्थी को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार निर्धारित स्वास्थ्य परीक्षा प्रमाण पत्र जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा उससे उच्च पद के चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाने चाहिये किन्तु महिलाओं के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी, किसी महिला चिकित्सक का स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उपस्थिति स्वीकार्य नहीं होगी।
6. इन अभ्यर्थियों को परिवीक्षाकाल में विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परिवीक्षा की अवधि स्वविवेकानुसार बढाई जा सकती है। निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा में दो बार से अधिक अनुतीर्ण होने पर इन्हें राज्य सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।

7. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षाणार्थी की परिवीक्षा की कालावधि के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (Fixed remuneration) के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के भत्ते (विशेष भत्ता, मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, बोनस आदि) देय नहीं होगें ।
8. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षार्थी को कार्यग्रहण काल एवं यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।
9. यदि सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परिवीक्षा की समयावधि में सन्तोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष लेखाकार होने की क्षमता नहीं है तो सरकार इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी ।
10. उक्त नियुक्तियाँ माननीय न्यायालयों में विचाराधीन विभिन्न प्रकरणें। के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन होगी ।

यदि कोई अभ्यर्थी प्रशिक्षण अवधि में या प्रशिक्षण समाप्ति के दो वर्ष की अवधि में राजस्थान राज्य अधीनस्थ लेखा सेवा से त्याग पत्र देना चाहेगा अथवा अन्यत्र पदग्रहण करना चाहेगा तो ऐसा करने से पूर्व प्रशिक्षण अवधि में उनके द्वारा प्राप्त वेतन एवं भत्ते एवं प्रशिक्षण पर हुये व्यय की दोगुना राशि का भुगतान उसे एक मुश्त राजकोष में जमा कराना होगा।

उक्त अभ्यर्थी दिंनाक 14 जून 2013 .तक कार्यग्रहण कर अवगत करावें अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त समझे जावेगें ।

इस विभाग से पत्र व्यवहार करते समय अभ्यर्थी अपने मेरिट क्रमांक एवं बैच वर्ष का उल्लेख अवश्य करें अन्यथा उनके पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

निदेशक

क्रमांक एफ.3 (ख) (1) ( )/अलेसे–।।/ 9096–9125 दिनांक :– मई 2013

प्रतिलिपिः–

1. शासन सचिव, वित्त(राजस्व) विभाग, राजस्थान जयपुर
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
3. विभाग / कार्यालय ....
....को प्रेषित कर लेख है कि सम्बन्धित अभ्यार्थी द्वारा उनके कार्यालय में उपस्थिति देते समय राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार निर्धारित स्वास्थ्य परीक्षा प्रमाण पत्र जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा उससे उच्च पद के चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही उपस्थिति स्वीकार की जावे तथा कार्यग्रहण रिपोर्ट इस विभाग को भिजवाने की व्यवस्था करायें।
4. निदेशक, ह.च.मा.राज. राज्य लोक प्रशासन संस्थान, राजस्थान, जयपुर
5. उप निदेशक, ह.च.मा. राज. लोक प्रशासन संस्थान, बीकानेर / उदयपुर / जोधपुर
6. श्री ....
को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे निर्धारित तिथि को सम्बन्धित कार्यालय में दिंनाक 14 जून 2013 तक आवश्यक रूप से उपस्थित होकर उपस्थिति रिपोर्ट सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें ।
7. निजी सहायक, निदेशक
8. गोपनीय शाखा
9. रक्षित/निजी पत्रावली

अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक–I)

D:\Section work\Teekam 01-02-2013\Posting Ordre-Idoc.doc